अध्याय-III
इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

3.1 निधियों का अवरोधन एवं निष्फल फोरेक्स निर्गम

केरल मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड एवं जिओ स्पेटियल दिल्ली लिमिटेड को ₹ 53.91 करोड़ की सहायता अनुदान अवमुक्त करते समय सामान्य वित्तिय नियमावली के प्राविधानों का गैर–अनुपालन साथ ही साथ अपर्याप्त अनुश्रवण के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी, निधियों का अवरोधन तथा ब्याज एवं कमिटमेंट फीस के मद में ₹ 2.62 करोड़ की राशि का विदेशी मुद्रा निर्गम निष्फल हुआ।

इलेक्ट्रानिकी व सूचना प्रौद्योगिक विभाग (डी ई आई टी वाई) जोकि अब इलेक्ट्रानिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) है, ने केरल राज्य के पी एस यू, केरल मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली "ई स्वास्थ्य केरल" परियोजना तथा दिल्ली सरकार के पी एस यू मैसर्स जी ओ स्पेटियल दिल्ली लिमिटेड द्वारा "इंडिया–ई डिलीवरी ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट" जिसकी विश्व बैंक द्वारा सहायता की गई थी, के अन्तर्गत "डेवलवमेन्ट ऑफ स्मार्ट सिटी यूजिंग डेटाबेस आफ डी एस एस डी आई[1]" को क्रियान्वित करने के लिये प्रशासनिक अनुमोदन किया।

लेखापरीक्षा ने दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित जांच की:

(क) केरल मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड (के एम एस सी एल) द्वारा 'ई–स्वास्थ्य केरल' परियोजना

प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सेहत सूचना का वैश्विक तथा सही डेटाबेस तथा समुदाय के बारे में जनसांख्यिकीय डेटा बनाने के लिये 'ई–स्वास्थ्य केरल परियोजना' फरवरी 2013 में ₹ 96.12 करोड़ (डी ई आई टी वाई का शेयर ₹ 86.69 करोड़ तथा केरल सरकार का शेयर ₹ 9.43 करोड़) के कुल प्राक्कलित परिव्यय पर अनुमोदित की गई थी। 'ई–स्वास्थ्य परियोजना' के क्रियान्वयन की अवधि दो वर्ष थी। तदनुसार, विभाग ने मैसर्स के एम एस सी एल को ₹ 43.35 करोड़ की राशि की पहली किश्त अवमुक्त की (मार्च 2013)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मैसर्स के एम एस सी एल को सहायता अनुदान देने में इसके अनुश्रवण करने व सामान्य वित्तिय नियमावली (जी एफ आर) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के रूप में अनियमितताएं थी जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 'इंडिया ई–डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज प्रोजेक्ट' के सम्बंध में विभाग द्वारा तैयार किये गये (अक्तूबर 2012), क्रियान्वयन दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया था कि परियोजना प्रस्ताव में प्रोग्राम क्रियान्वयन एजेन्सी दर्शाया जाना चाहिये जिसको परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियाँ हस्तांतरित की जा सके। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग के अनुदान की राशि मैसर्स के एम एस सी एल

[1] डी एस एस डी आई: दिल्ली स्टेट स्पेटियल डेटा इनफ्रास्ट्रक्चर

को अवमुक्त कर दी जबकि राज्य सरकार ने "प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी एम यू) ई स्वास्थय मिशन केरल" को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में नामित किया था।

- जी एफ आर का नियम 209 (1) निर्धारित करता है कि सभी सम्बन्धित सूचना व दस्तावेज प्रस्तुत करने अपेक्षित होंगे ताकि अनुदान मांगने की संस्था की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिये संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को समर्थ बनाया जा सके। विभाग ने इस तथ्य पर विचार किये बिना कि कम्पनी ने 2010-11 से अपने वार्षिक लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था जिससे कि मामले में पारदर्शिता नहीं रही, मार्च 2013 के दौरान के एम एस सी एल को अनुदान की राशि अवमुक्त कर दी।

- जी एफ आर के नियम 209 (6) (i) में व्यवस्था है कि संस्वीकृति प्राधिकारी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके अनुदान की किश्त देने के लिये मात्रा व अवधि के सम्बन्ध में शर्तें निर्धारित कर सकता है। यह देखा गया कि ई–स्वास्थ्य परियोजना में विविध माइलस्टोन थे जैसे निविदा प्रक्रिया द्वारा सिस्टम इंटीग्रेटर, सिस्टम स्टडी, एपलीकेशन साफ्टवेयर विकास, प्रशिक्षण, पायलट स्टडी आदि। यद्यपि संस्वीकृति प्राधिकारी के रूप में विभाग जी एफ आर के नियम 209 (6) (i) के अनुपालन में अनुदान देने हेतु मात्रा व अवधि की शर्तें निर्धारित करने में सक्षम था, इसने माइलस्टोन की प्राप्ति के आधार पर निधियाँ देने हेतु नियंत्रण करने में कोई समुचित सावधानी नहीं बरती। अपितु, विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंत में पहली किश्त के रूप में अपने अंश का 50 प्रतिशत अवमुक्त कर दिया।

- जी एफ आर के नियम 212(1) में व्यवस्था है कि सम्बन्धित संस्था अथवा संगठन द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू सी) वित्तिय वर्ष के पूरा होने के बारह माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रशासकीय अनुमोदन की शर्तों के अनुसार अनुदान की दूसरी किश्त मांगते समय के एम एस सी एल केवल यू सी प्रस्तुत करने के लिये बाध्य था। जी एफ आर के अनुसार समयबद्ध तरीके से यू सी प्रस्तुत करने में बाध्यकारी न होने के परिणामस्वरूप, के एम एस सी एल को अनुचित छूट प्रदान हुआ।

- विभाग ने अनुदान देते समय के एम एस सी एल को सियोरटी बॉड के निष्पादन से मुक्त कर दिया यद्यपि जी एफ आर के नियम 209(6)(x) व नियम 2(xv) के अनुसार छूट केवल केन्द्र सरकार की संस्थाओं में लागू थी। इसके परिणामस्वरूप, निबन्धनों एवं शर्तों के भंग होने की स्थिति में, प्राप्तकर्ता संस्था से अनुदान वापिस करने की मांग करने का अवसर छोड़ दिया गया।

- संस्वीकृत परियोजनाओं में अन्तःनिर्मित मूल्यांकन तंत्र के रूप में विभाग द्वारा स्थापित प्रोजेक्ट रिब्यू स्टीअरिंग ग्रुप (पी आर एस जी) को प्रत्येक चार माह में एक बार बैठक करना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो वर्ष की अवधि में पी आर एस जी की पहली बैठक जनवरी 2014 में अर्थात् परियोजना के लिये अनुदान दिये जाने के नौ माह के बीत जाने के बाद, की गई थी।

- पी एम यू द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2016) प्रगति रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया कि दो वर्षों की परिकल्पित समय सीमा के विरूद्व तीन वर्ष और चार माह बीत जाने के बाद भी राज्य

सरकार द्वारा परियोजना पूरी नहीं की जा सकी थी। मई 2016 तक कुल निधि का उपयोग दी गई निधि का 15 प्रतिशत (लगभग) केवल ₹ 6.44 करोड़ था।

इंगित किये जाने (अप्रैल 2016), पर मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2016) कि 'ई–स्वास्थ्य केरल' 14 मार्च 2013 को अनुमोदित की गई थी। उसके बाद, परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिये नियमित पी आर एस जी व समीक्षा बैठकें की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पी आर एस जी की पहली बैठक जनवरी 2014 में हुई थी अर्थात् परियोजना को अनुदान दिये जाने दिये जाने के नौ माह बीत जाने के बाद तथा परियोजना अभी पूरी की जानी थी।

(ख) मैसर्स जी एस डी एल द्वारा 'डेवलवमेन्ट आफ स्मार्ट सिटी यूजिंग डेटासेट्स ऑफ डी एस एस डी आई' परियोजना

विभाग के प्रयोक्ताओं को पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करते हुए इंटरनेट पर्यावरण में साधारण वेव जी आई एस इंटरफेस के द्वारा उनकी रूचि के अनुसार विशेष डाटा डेवलवमेन्ट कार्य का अनुश्रवण करने के लिए 'डेवलवमेन्ट आफ स्मार्ट सिटी यूजिंग डेटासेट ऑफ डी एस एस डी आई' परियोजना अप्रैल 2013 में अनुमोदित की गई थी जिसे मैसर्स जीओ स्पेटियल दिल्ली लिमिटेड (जी एस डी एल), जो कि दिल्ली सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, के द्वारा क्रियान्वित की जानी थी। परियोजना का कुल परिव्यय ₹ 21.11 करोड़ था तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अवधि तीन माह थी। तदनुसार, विभाग ने जी एस डी एल को (जून 2013) में ₹ 10.56 करोड़ की राशि की पहली किश्त अवमुक्त की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जी एस डी एल को सहायता अनुदान प्रदान करने में जी एफ आर के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था तथा परियोजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण अपर्याप्त था जैसाकि नीचे वर्णित है:

- जी एफ आर के नियम 209(6)(i) में व्यवस्था है कि संस्वीकृति देने वाला प्राधिकारी वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श करके किश्तों में अनुदान देने हेतु मात्रा व अवधि के सम्बंध में शर्तें निर्धारित कर सकता है। यह देखा गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के विविध घटकों से निर्मित था जैसे परियोजना इनसेप्शन (प्रारम्भ) रिपोर्ट, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का आकार तय करना, सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई) के चयन के लिये आर एफ पी का प्रकाशन, एस आई का लिया जाना, इत्यादि। यद्यपि संस्वीकृति प्राधिकारी के रूप में विभाग को अधिकार था कि वह जी एफ आर के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसरण में अनुदान प्रदान करने हेतु मात्रा व अवधि की शर्तें निर्धारित करे, इसने परियोजना के घटकों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से निधि प्रदान करने को नियंत्रित करने में कोई समुचित सावधानी नहीं बरती। अपितु, विभाग ने एक बार में ही अनुदान निधि का 50 प्रतिशत अवमुक्त कर दिया।
- विभाग ने अनुदान देते समय सियोरिटी बॉन्ड के निष्पादन से जी एस डी एल को छूट दे दी थी यद्यपि जी एफ आर के नियम 209(6)(x) तथा नियम 2 (xv) के अनुसार छूट केवल केन्द्र सरकार की संस्थाओं पर लागू थी। इसके परिणामस्वरूप शर्तों व निबन्धनों के भंग होने

की स्थिति में विभाग का संविदात्मक अधिकार कि वह प्राप्तकर्ता संस्था से अनुदान वापिस करने की मांग करे, को छोड़ दिया गया।

- संस्वीकृत परियोजनाओं में अन्त:निर्मित मूल्यांकन तंत्र के रूप में विभाग द्वारा स्थापित प्रोजेक्ट रिब्यू स्टीअरिंग ग्रुप (पी आर एस जी) को प्रत्येक चार माह में एक बार बैठक करना था। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि पी आर एस जी की पहली बैठक जनवरी 2014 में, अर्थात् एक परियोजना जिसे तीन माह के भीतर पूरा किया जाना था, के लिये अनुदान देने के आठ माह बीतने के बाद, की गई थी।

- यह देखा गया था कि विभाग ने परियोजना के क्रियान्वयन में कोई महत्वपूर्ण प्रगति न होने के बावजूद भी समय–सीमा में विस्तार जारी रखा। यह देखा गया था कि समय–सीमा तीन माह से नौ माह तक और बाद में, अगस्त 2015 तक परिवर्तित की गई (नवम्बर 2014)। यह भी आगे देखा गया कि एस आई के चयन हेतु समय–सीमा मार्च 2016 तक बढ़ायी गई।

- जी एस डी एल द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट (जून 2016) के अनुसार, यह देखा गया कि जी एस डी एल, निविदा प्रक्रिया के द्वारा एस आई का चयन पूर्ण नहीं कर सका तथा निधियों में अवमुक्त करने के बाद तीन वर्षों से भी अधिक समय बीतने पर भी परियोजना अपूर्ण है। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार निधियों का कुल उपयोग मात्र ₹ 0.14 करोड़ था जो अवमुक्त निधि का 1.33 प्रतिशत (लगभग) था।

  इंगित किये जाने (अप्रैल 2016) पर विभाग ने बताया (जून 2016) कि डेवलवमेन्ट आफ स्मार्ट सिटी यूज़िग डेटाबेस ऑफ डी एस एस डी आई' परियोजना 30 अप्रैल 2013 को अनुमोदित की गई थी। उसके बाद, परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिये, नियमित पी आर एस जी व समीक्षा बैठक की गई है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पी आर एस जी की पहली बैठक जनवरी 2014 में की गई थी अर्थात् परियोजना, जिसे तीन माह के भीतर पूरा करना था, के लिये अनुदान देने के आठ माह बीतने के बाद। परियोजना अभी पूर्ण की जानी है।

  दोनों परियोजनाओं के लिये अनुदान सहायता ₹ 791.40 करोड़ (यू एस डी 150 मिलियन), ऋण निधि में से दी गई थी जो कि पुर्ननिर्माण एवं विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई बी आर डी) से 'ई–डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस डेवलपमेन्ट पालिसी लोन' के अन्तर्गत प्राप्त (दिसम्बर 2011) हुई थी। परियोजना के कुल लागत ₹ 53.91 करोड़ (₹ 10.56 करोड़ सहित ₹ 43.35 करोड़) पर सितम्बर 2016 को विदेशी मुद्रा निर्गम के रूप में परियोजना के लिये ब्याज एवं प्रतिबद्धता शुल्क के मद में कुल ₹ 2.62 करोड़[2] की वहन की गयी लागत की राशि थी।

  इस प्रकार, क्रियान्वयन एजेन्सियों को अनुदान देने में समुचित सावधानी का अभाव, जी एफ आर प्रावधानों के गैर-अनुपालन के साथ-साथ अपर्याप्त अनुश्रवण तंत्र के परिणामस्वरूप परियोजनायें पूर्ण नहीं हो सकीं, इससे सहायता अनुदान मद की निधि की ₹ 53.91 करोड़

[2] सी ए ए एण्ड ए द्वारा तैयार किये गये आई बी आर डी लोन लेज़र के अनुसार ₹ 791.40 करोड़ पर भुगतान की गई कुल ब्याज एवं प्रतिबद्धता शुल्क की राशि ₹ 38.39 करोड़ है। ₹ 53.91 करोड़ पर ब्याज की आनुपातिक राशि ₹ 2.62 करोड़ है (₹ 38.39 करोड़/₹ 791.40 करोड़ *₹ 53.91 करोड़)।

की राशि तथा ब्याज एवं प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में ₹ 2.62 करोड़ का निष्फल विदेशी मुद्रा निर्गम हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2017)।

3.2 किराये का अधिक भुगतान

पुणे में कार्यालय स्थान किराये पर लेने के सम्बन्ध में सी–डैक किराये पर लिए गये क्षेत्र को सही प्रकार से मापने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ के किराये का अधिक भुगतान हुआ।

(मार्च 2013) में सेन्टर फॉर डेवेलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक), पुणे ने एन एस जी आई टी पार्क, पुणे में स्थित कार्यालय में से एक कार्यालय को, वर्तमान पट्टे की अवधि की समाप्ति तथा स्थान की अतिरिक्त मांग के कारण, स्थानान्तरित करने हेतु सुसज्जित या गैर-सुसज्जित 75,000 से 1,00,000 वर्ग फुट स्थान किराए पर लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया। तदनुसार, मई 2013 और जनवरी 2014 के बीच 89,164 वर्ग फुट प्रभार्य क्षेत्र[3] वेस्टइंड सेन्टर, औंध, पुणे में दक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (डी आई पी एल) से ₹ 80 प्रति वर्ग फुट की मासिक दर से किराए पर लिया जिसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1

प्रभार्य क्षेत्र का विवरण

तल	कारपेट क्षेत्र (वर्ग फुट में)		कारपेट क्षेत्र का 25 प्रतिशत (वर्ग फुट में)	कुल प्रभार्य क्षेत्र (वर्ग फुट में)
	मई 2013 का अनुबंध	जनवरी 2014 का अनुबंध		
तृतीय तल	22800	-------	5700	28500
चतुर्थ तल	23352	-------	5838	29190
पंचम तल	13964	8837	5700	28500
छठा तल	------	2379	595	2974
कुल	**60116**	**11216**	**17833**	**89164**

लेखापरीक्षा ने निम्नवत देखा (दिसम्बर 2014):

- डी आई पी एल के साथ किए गए अनुबन्ध में यह निहित था कि उल्लिखित क्षेत्र, संयुक्त माप के अधीन थे। तथापि, सी–डैक ने प्रभार्य क्षेत्र की संयुक्त मापी नहीं की और डी आई पी एल द्वारा दिए गए माप के आधार पर किराए का भुगतान किया।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी ''इंडियन स्टेन्डर्ड ऑफ मैथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लिन्थ, कारपेट एंड रेन्टेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग'' के प्रावधानों के अनुसार, कारपेट क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र जैसे मार्ग, गलियारा, रसोई, बाथरूम, कैंटीन आदि शामिल नहीं होता है। प्रभार्य क्षेत्र की गणना करते समय कारपेट क्षेत्र में मार्ग के सामान्य क्षेत्र को शामिल करके बढाया गया था।

[3] आशय के पत्र (एल ओ आई)/अनुबन्ध के अनुसार प्रभार्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र तथा कारपेट क्षेत्र के 25 प्रतिशत का जोड़ होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर सी–डैक ने सी पी डब्लू डी से डी आई पी एल के साथ संयुक्त तौर पर किराए पर दिए गए परिसर का परिमापन करने के लिये अनुरोध (नवम्बर 2015) किया जिसे सी पी डब्लू डी द्वारा यह कहकर कि सी पी डब्लू डी नियमावली में पहले से ही किराए पर लिए गए भवन परिसर के संयुक्त परिमापन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, स्वीकार नहीं किया गया (दिसम्बर 2015)। तदोपरान्त, सी–डैक पुणे ने किराए पर लिए गए परिसर के संयुक्त परिमापन के लिए पी डब्लू डी से सम्पर्क किया (दिसम्बर 2015)। पी डब्लू डी ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि किराए पर लिए गए सभी तलों का कुल कारपेट क्षेत्र 77,605.42 वर्ग फुट था।

चूंकि पी डब्लू डी द्वारा सी–डैक को कथित कारपेट क्षेत्र का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था, लेखापरीक्षा ने सी–डैक से अनुरोध किया (अप्रैल 2016) कि कथित कारपेट क्षेत्र के विवरण को वह प्रस्तुत करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पी डब्लू डी द्वारा निर्धारित की गयी कारपेट क्षेत्र, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी 'इंडियन स्टैन्डर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लिन्थ, कारपेट एंड रेन्टेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग' के अनुरूप है या नहीं। हलांकि, मांगी गई जानकारी सी–डैक द्वारा नहीं प्रदान की गई और इसके स्थान पर किराये पर लिए गए तलों के कारपेट क्षेत्र की पी डब्लू डी द्वारा की गयी दूसरी परिमापन के बारे में सूचित किया गया (अगस्त 2016) जिसमें तलों का कारपेट क्षेत्र 6,104 वर्ग मीटर अर्थात् 65,678 वर्ग फुट बताया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पी डब्लू डी द्वारा जनवरी 2016 में (77,605.42 वर्ग फुट) और अगस्त 2016 में (65,678 वर्ग फुट) सूचित किए गए कारपेट क्षेत्र में बहुत अंतर था। यद्यपि कि, पी डब्लू डी द्वारा कहा गया (अगस्त 2016) कि कारपेट क्षेत्र, परिमापन के भारतीय मानक के अनुरूप ही निर्धारित किया गया था, परन्तु कारपेट क्षेत्र के विभिन्न घटकों के अलग–अलग विवरण के बारे में जानकारी नहीं दी गई, इसलिये इस तथ्य की जाँच नहीं की जा सकी। किराये के भुगतान के लिए पी डब्लू डी द्वारा किये गये कारपेट क्षेत्र के नवीनतम परिमापन की गणना को मानते हुए क्षेत्र जिसके लिए किराये का वास्तविक भुगतान हुआ, वह उस क्षेत्र जिसके लिए किराया भुगतान योग्य था, कहीं अधिक है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ के किराए का अतिरिक्त भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-I)**। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया, सी–डैक पुणे के प्रबंधन ने डी आई पी एल के समक्ष प्रभार्य क्षेत्र के विविध गणना के मामले में, चर्चा के लिए मामला नहीं उठाया।

मंत्रालय ने (फरवरी 2017) उत्तर दिया कि:

- भारतीय मानक (आई एस) कोड, निविदा की पूर्व निर्धारित शर्त नहीं थी। यदि विज्ञापन में यह बताया जाता कि कारपेट क्षेत्र, भारतीय मानक कोड के अनुसार परिमापित किया जाएगा तो बोली लगाने वाले उसी अनुसार दर देते।
- भुगतान योग्य किराए की गणना करते समय, लेखापरीक्षा ने भारतीय मानक कोड के अनुसार, पी डब्लू डी द्वारा दिए गए परिमापन में से पार्किंग के क्षेत्र को छोड़ दिया। या तो भारतीय मानक कोड या अनुबंध अथवा मूल कोटेशन का पूर्णतः अनुपालन होना चाहिए था।

- यह दो पार्टियों के ही बीच हस्ताक्षर की गई संविदा है जो गणना/किराए के भुगतान के लिए अंतिम दस्तावेज़ के रूप में थे। न तो विज्ञापन में, और न ही बोली/संविदा में कारपेट क्षेत्र के परिमापन के सम्बन्ध में सी पी डब्लू डी नियमावली/भारतीय मानक कोड का जिक्र किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित कारणों से युक्तियुक्त नहीं है:

- ✓ विभिन्न संविदाओं के लिए कारपेट क्षेत्र की मानक परिभाषा वही रहेगी। यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मानकों से ही परिभाषित होनी चाहिए। एम ई आई टी वाई, भारत सरकार के अंतर्गत सी–डैक एक स्वायत्त उपक्रम है, इसलिए इसे भारतीय मानक कोड के अनुसार उपरोक्त को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
- ✓ अनुमति एवं लाइसेंस अनुबंधों में, किराए के भुगतान के लिए तलों के केवल कारपेट क्षेत्र को दर्शाया गया था। यह भी उद्घृत किया जाता है कि अनुबंधों के अनुसार, लाइसेंसदाता प्रत्येक 1000 वर्ग फुट के प्रभार्य क्षेत्र के लिए लाइसेंसधारी को बिना अतिरिक्त शुल्क के एक कार पार्क प्रदान करेंगे। इसलिए, बेसमेंट में पार्किंग क्षेत्र को कारपेट क्षेत्र में शामिल करना अनियमित था।
- ✓ पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों के अनुसार, यह स्पष्ट कहा गया था कि उल्लेखित क्षेत्र संयुक्त परिमापन के अधीन था। यद्यपि, सी–डैक ने प्रभार्य क्षेत्र के मापन के लिए संयुक्त परिमापन को आवश्यक नहीं समझा और बिना संयुक्त परिमापन के, किराए का भुगतान किया।

इस प्रकार, सी–डैक ने कार्यालय परिसर के क्षेत्र का संयुक्त परिमापन नहीं किया। परिणामस्वरूप, पुणे में किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान के सम्बन्ध में भुगतान योग्य किराए के लिए सही क्षेत्र को नहीं लिया तथा जून 2013 से अगस्त 2016 की अवधि तक ₹ 2.59 करोड़ के किराए का अधिक भुगतान हुआ।